अनुसूची–१४ –फारम स0 १६०

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, १६७१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 137/2011

शैलेश कुमार सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,सोनपुर, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
16.04.2015	यह माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल वाद सं0 2804/2015 से संबंधित है। यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के ज्ञापांक 1020/आ0 दिनांक 19.11.11 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 25.10.2011 को दरियापुर प्रखंड के सभी पंचायतो के जन वितरण प्रणाली विकेताओं के प्रतिष्ठानों की जॉच विभिन्न जॉच दल के द्वारा कराई गई। दरियापुर प्रखंड के ग्राम पंचायत खानपुर के विकेता श्री शैलेश कुमार सिंह, 47/07 की दूकान की भी जॉच की गई। जॉच के कम में विकेता की दूकान बन्द पाई गई जिसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 927/आ0 दिनांक 11.11.11 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पा कर विकेता की अनुज्ञप्ति रदद् कर दी गयी, जिसके विरूद्ध विकेता के द्वारा यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि दिनांक 25.10.11 को विकेता राज्य खाद्य निगम, दरियापुर के गोदाम पर रोस्टर के अनुसार खाद्यान्न का उठाव करने के लिए गया था, जिसके साक्ष्य के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर को संबोधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दरियापुर के पत्र दिनांक 17.10.11 का अवलोकन किया जा सकता है जिसे अपने जवाब के साथ संलग्न कर विकेता के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा संलग्लन कागजात का परिसीलन किये बिना प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सोनपुर से मंतव्य प्राप्त करके उसे आधार बनाते हुए विकेता की अनुज्ञप्ति को रदद कर दिया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि	

एक अन्य मामले मे माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि दूकान के एक दिन बन्द रहने की स्थिति में विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द करने जैसी गंभीर सजा देना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ रोस्टर से संबंधित पत्र दिनांक 17.10.11 संलग्न किया गया है जिसका परिसीलन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश एक मुखर आदेश (Speaking Order) नहीं है। जॉच के कम में दूकान यदि बन्द पाई गई तो अनुज्ञापन पदाधिकारी को चाहिए था कि एक तिथि निर्धारित कर विक्रेता को सभी कागजात एवं पंजियों के साथ कार्यालय में बुलाते एवं उनकी जॉच की जाती और यदि जॉच मे कोई अनियमितता पाई जाती तो कारण पृच्छा करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए थी। विक्रेता की दूकान से संबंद्ध उपभोक्ताओं का बयान भी जॉच दल के द्वारा नहीं लिया गया है। इससे भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि दया विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनुदानित सामग्री के उठाव एव वितरण में कोई अनियमितता बरती जा रही थी।

अपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब के साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दरियापुर के द्वारा निर्गत रोस्टर से संबंधित पत्र दिनांक 17.10.11 संलग्न किया गया है जिसका परिसीलन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा नहीं करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है।

अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुए इसे निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 16.12.11 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

16/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

16/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 257 /आ० दिनांक 17/4/15

प्रतिलिपि – SDO सोनपुर को अभिलेख संलग्न (मूल में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। ⟹ DIO, NIC, सारण को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
प्रभारी विधि शाखा, सारण